



2026:AHC:56511

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 9968 वर्ष 2026

सुरेश मौर्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिपक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: हरिश कुमार त्रिपाठी

विपक्षी के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना,

1. श्री हरिश कुमार त्रिपाठी, अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए और प्रस्तुत किया कि प्रलोभन/बहला-फुसलाकर ले जाने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पीड़िता की माता द्वारा दिनांक 19.07.2022 को दर्ज कराई गई है। अभियुक्त-आवेदक और पीड़िता ने एक मंदिर में विवाह कर लिया है। मंदिर समिति ने दिनांक 21.09.2023 को विवाह का प्रमाण पत्र जारी किया है, जो आवेदन के पृष्ठ संख्या 44 पर संलग्न है। उन्होंने तर्क दिया कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पीड़िता ने भी दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 164 के तहत अपने बयान में आवेदक के पक्ष में गवाही दी है। उन्होंने आगे कहा कि इस विवाह से एक बच्चे का जन्म भी हुआ है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि सूचनाकर्ता (शिकायतकर्ता) ने अभियुक्त-आवेदक और पीड़िता के संबंधों को स्वीकार कर लिया है, और इसलिए सुलह (समझौता) कर लिया है। विचारण वर्तमान में जारी है। अतः, वे सुलह के आधार पर केस अपराध संख्या 111 वर्ष 2022 से उत्पन्न सत्र वाद संख्या 376 वर्ष 2024, धारा 363, 366, 376 आई.पी.सी. और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 तथा एस.सी./एस.टी. अधिनियम की धारा 3(2)(5), थाना हरपुर बुदहट, जनपद गोरखपुर की संपूर्ण कार्यवाही के साथ-साथ आरोप पत्र दिनांक 21.01.2024 और संज्ञान/समन आदेश दिनांक 23.02.2024, जो विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रथम, गोरखपुर के न्यायालय में लंबित है, को निरस्त करने हेतु इस न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करते हैं।

2. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार ओझा ने वकालतनामा और संक्षिप्त प्रति-शपथ पत्र प्रस्तुत किया। इसे रिकॉर्ड पर लिया गया।

3. विपक्षी संख्या 3 और 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

4. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने आगे यह प्रस्तुत किया कि पक्षों ने अपने व्यक्तिगत विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है, अतः वे कथित आपराधिक कृत्य का न्यायिक निर्णय नहीं चाहते हैं और प्रार्थना की कि सुलह के अनुसरण में उक्त आपराधिक मामले को निरस्त किया जाए।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



5. राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई कि यदि पक्षकार दी गई परिस्थितियों में सुलहनामा दाखिल करने के लिए विचारण न्यायालय से संपर्क करते हैं।

6. सर्वोच्च न्यायालय ने **मफत लाल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य (2022) 6 SCC 589** के मामले में, अभियुक्त और पीड़िता के विवाह पर विचार करते हुए, धारा 363, 366 आई.पी.सी. के तहत दर्ज एफ.आई.आर. और परिणामी कार्यवाहियों को निरस्त कर दिया है।

7. यहाँ तक कि पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के मामलों में भी, सर्वोच्च न्यायालय ने **के. दंडापाणि बनाम राज्य (2022 SCC Online SC 1056)** के मामले में, अभियुक्त और पीड़िता के सुखी वैवाहिक जीवन को देखते हुए, पॉक्सो अधिनियम के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया और यह माना कि "यह न्यायालय जमीनी हकीकत से आँखें नहीं मूंद सकता और अपीलकर्ता तथा पीड़िता के सुखी पारिवारिक जीवन को अशांत नहीं कर सकता।"

8. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा यह स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त और पीड़िता विवाहित हैं। वर्तमान मामले के तथ्यों को उपरोक्त निर्णयों के आलोक में देखा जाना चाहिए।

9. क्या पक्षों (सूचनाकर्ता, पीड़िता और अभियुक्त) ने समझौता कर लिया है, इसका सबसे अच्छा न्यायनिर्णयन विचारण न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। अतः, पक्षकार **तीस दिनों** के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं और पक्षों के बीच हुए समझौते को दाखिल कर सकते हैं, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा। विचारण न्यायालय मूल समझौते को अपने रिकॉर्ड में रखेगा।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



10. विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी समझौते को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि सूचनाकर्ता, पीड़िता और अभियुक्त उस पर हस्ताक्षरकर्ता न हों और उसके सत्यापन के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित न हों। किसी आकस्मिकता की स्थिति में, विचारण न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करेगा और उचित आदेश पारित करेगा।

11. दो महीने की अवधि के लिए, विचारण न्यायालय की कार्यवाही स्थगित (abeyance) रखी जाएगी, यदि समझौता निर्धारित अवधि के भीतर दाखिल और सत्यापित कर दिया जाता है, अन्यथा विचारण न्यायालय विचारण जारी रखेगा।

12. वे सभी पक्ष, जो समझौता दाखिल करते हैं और उसे सत्यापित करवाते हैं, वे इसके बाद आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने के लिए इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का उपयोग करते हुए एक संयुक्त आवेदन दाखिल करेंगे।

13. उपरोक्त के आलोक में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 / दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत प्रस्तुत यह आवेदन तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

19 मार्च, 2026

शिवांगी

(न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।